भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1129
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

अटल पेंशन योजना

1129. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पेंशन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) लाभार्थियों की संख्या में बड़ी कमी को देखते हुए क्या सरकार ने योजना के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत दिनांक 9 मई, 2015 को की गई थी और दिनांक 1 जून, 2015 से यह योजना कार्यशील हुई। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। योजना के अनुसार, अभिदाता को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक, लाभार्थी द्वारा चुने गए अंशदान के आधार पर सरकार से 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह, 4000 रुपये प्रति माह या 5000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ 2035 से आरंभ होने की उम्मीद है।

अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन में नियमित रूप से वृद्धि हुई है और इसकी शुरुआत से लेकर दिनांक 20.07.2024 तक कुल 6,71,84,348 अभिदाता नामांकित हुए हैं।

*****